UPDATED GUIDELINES

LLB (I SEM) 2025-2026
ELIGIBILITY FOR ADMISSION (प्रवेश के लिए पात्रता)

नोट : केवल वही छात्र छात्राएँ, जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विधि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होकर उसे उत्तीर्ण किया है, विधि (एल.एल.बी. तीन वर्षीय) में पंजीकरण हेतु पात्र हैं।

LLB कक्षा में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, जो एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा मान्य हों. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित है. पिछड़ी जाति के लिए 42 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 40 प्रतिशत है। यह न्यूनतम प्रतिशत बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निश्चित की गयी है (बार काउन्सिल आफ इण्डिया की बैठक दिनांक 14/09/2008 में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 110/2008) । ऐसे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो वर्ष **2025** की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं किन्तु उन्हें काउन्सिलिंग से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

NOTE: The candidates who have obtained 10+2 or graduation/Post graduation through open Universities system directly without having any basic qualification for pursuing such studies are not eligible for admission in Law courses. (B.C.I. Circular No. LE CIR: 02/2010 dt. 20/12/2010)

RESERVATION (आरक्षण)

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा-

VERTICAL RESERVATION:	
अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के लिए **(01 July 2024 से पहले का मान्य नहीं होगा)**	10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।
HORIZONTAL RESERVATION IN EACH CATEGORY AS PER GOVT. RULES	
विकलांग	03 प्रतिशत
DF	05 प्रतिशत
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02 प्रतिशत

महिला	20 प्रतिशत न्यूनतम

टिप्पणी 1 सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी 2 उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों की मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की
दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य / अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

टिप्पणी 3 पिछड़ी जाति (नॉन कीमीलेयर) का प्रमाण पत्र 01 July 2022 के बाद का ही मान्य होगा।

ADMISSION CRITERIA (प्रवेश का मानदंड)

Please go through the following instructions carefully before entering the required details in the application form (कृपया आवेदन पत्र में अपेक्षित विवरण अंकित करने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करें।)

- बार काउन्सिल आफ इण्डिया के आदेशानुसार (बार काउन्सिल आफ इण्डिया के निर्णय दिनांक 14.02.2008) सत्र 2009-2010 में एल.एल.बी. त्रिवर्षीय शिक्षण / प्रशिक्षण सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होगा।
- विधि महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 में बार काउन्सिल आफ इण्डिया से यदि मान्यता नहीं है तो ऐसे महाविद्यालयों को काउन्सिलिंग के माध्यम से छात्र आवंटित नहीं किये जायेंगे।
- अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- प्रार्थी द्वारा दी गयी कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य सिद्ध हो जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि आपने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है और अपने आवेदन के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र नहीं दिया है. तो आपका आवेदन पत्र सामान्य / अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाईन आयोजित की जायेगी।
- एन.सी.सी. (NCC) एन.एस.एस. (NSS) शारीरिक रूप में अपंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आर्ल्ड फोर्स आश्रित / खेलकूद में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिप संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रदान करने के लिये निम्न अधिकारी / संस्थायें सक्षम हैं –

एन.सी.सी. B / C प्रमाण पत्र	**एन.सी.सी. निदेशालय, रक्षा मंत्रालय**
एन.एस.एस. के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने से संबंधित प्रमाण पत्र	**संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक**
एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा	**संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक**
किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता	**संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या कीड़ा परिषद के अध्यक्ष**
अन्तर्विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	**संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या कीड़ा परिषद के अध्यक्ष**
राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	**शासन से संबंधित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा**
शारीरिक रूप से विकलांग	**मुख्य चिकित्साधिकारी**

❖ प्रवेश की तिथि पर स्नातक उपाधि/अंकतालिका होनी चाहिये तभी प्रवेश दिया जायेगा।

Extra Points (अतिरिक्त अंक):

प्रत्येक न्यूनतम अर्हताधारक को निम्नांकित अतिरिक्त अंक सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 10 अंक से अधिक नहीं होगा -

एन.सी.सी. सी प्रमाण पत्र	10 अंक
एन.सी.सी. बी प्रमाण पत्र	05 अंक
खेलकूद राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर	10 अंक
खेलकुद विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व	05 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना 240 घंटे की सेवा तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर	05 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना 240 घंटे की सेवा तथा सात दिवसीय दो शिविर	10 अंक

टिप्पणी- उपर्युक्त क्रमाको पर उल्लिखित में अधिकतम 10 अंक ही देय होंगे।